न्यायालय न्यायनिर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली
(कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी :– ओम प्रकाश सहारण (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र संख्या:– 22/2024

जीत सिंह यादव तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्या० मु० चिकि० एवं स्वा० अधिकारी अलवर, हाल खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्या० मु० चिकि० एवं स्वा० अधिकारी धौलपुर ।

–आवेदक

बनाम

1. श्री श्याम सिंह पुत्र श्री जसपाल सिंह, उम्र 50 वर्ष (विक्रेता, इन्चार्ज एवं नोमनी) मैसर्स हैरिटेज फूडस लि०. C/O अशोको आईस फैक्ट्री, ग्राम जैतपुरा, वार्ड नं0 2. बहरोड, जिला अलवर निवासी– ग्राम सलेमगढ़, पो० मंगलोर, जिला बुलन्दशहर (उत्तर प्रदेश)।
2. मैसर्स हैरिटेज फूडस लि०. C/O अशोका आईस फैक्ट्री, ग्राम जैतपुरा, वार्ड नं० 2. बहरोड, जिला अलुवर।

–अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एफ.एस.एस. एक्ट 2006 रूल्स 2011

निर्णय

दिनांक 17/12/24

1. उपर्युक्त उनवानी संस्थित प्रकरण परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जीत सिंह यादव द्वारा न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया है कि मैं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी अलवर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहा हूँ और मेरा गजट नोटिफिकेशन राजस्थान राजपत्र विशेषांक में दिनांक 26 जुलाई 2011 के गजट भाग 2 (क) के क्रमांक 21 पर अंकित है श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 475/10.08.2011 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर आवंटित किया गया है और अलवर जिले के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र में आते है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियाँ न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
2. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 06.10.2018 को सुबह 09.30 वजे वाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने गश्त खाद्य पदार्थों की चैकिंग हेतु सामान नमूनीकरण वैग एवं

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

जांच दल सहित मैसर्स हैरिटेज फूडस लि०, C/O अशोका आईस फैक्ट्री, ग्राम जैतपुरा, वार्ड नं० 2, बहरोड, जिला अलवर स्थित पर पहुँचा। उक्त दुकान के विक्रेता को परिचय देकर एवं परिचय पत्र दिखाकर उससे नाम एवं पता पूछा जिस पर विक्रेता ने अपना नाम श्री श्याम सिंह पुत्र श्री जसपाल सिंह, उम्र 50 वर्ष (विक्रेता, इन्चार्ज एवं नोमनी) मैसर्स हैरिटेज फूडस लि०, C/O अशोका आईस फैक्ट्री, ग्राम जैतपुरा, वार्ड नं0 2, बहरोड, जिला अलवर निवासी ग्राम सलेमगढ, पो० मंगलोर, जिला बुलन्दशहर (उत्तर प्रदेश) का होना बताया। मैने उक्त विक्रेता से खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञप्ति/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर उक्त विक्रेता ने खाद्य अनुज्ञा पत्र, फार्म 9, आधार कार्ड की छायाप्रति उपलवध कराई जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

3. यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि उक्त एमसीसी यूनिट वहरोड पर एक वड़े ड्रम्य में करीव 7200 लीटर मिश्रित दूध आमजन को वेचान वास्ते रखा हुआ था। जिसमें मिलावट का शक होने पर उक्त विक्रेता से 2 लीटर मिश्रित दूध वास्ते नमूना जाँच खरीदा। उक्त खरीदशुदा मिश्रित दूध की कीमत विक्रेता को मौके रु 66/- (अक्षरे छियासठ रूपये मात्र) नकद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्यायनिर्णायन आवेदन के साथ संलग्न है।

4. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना जांच हेतु क्रय किये गये 2 लीटर मिश्रित दूध को हिला मिलाकर एकरूप कर वरावर चार अलग अलग साफ सूखी चौडे मुँह कि शीशियों में डाला एवं डालकर प्रत्येक वोतल में 40-40 वूंद फार्मलीन की डालकर बोतलो को एयर टाईट बन्द किया। विक्रेता एवं गवाहान के समक्ष लेवल तैयार कर उन पर श्रीमान् डी. ओ. के कोड एवं क्रमांक वी-4085 दर्ज कर विक्रेता, गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर व मैने स्वयं ने हस्ताक्षर कर प्रत्येक शीशी पर चिपकाया। प्रत्येक शीशी को अलग-अलग मोटे खाकी कागज में लपेट कर एवं किनारों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाकर प्रत्येक शीशी पर पेपर स्लिप कोड़ एवं सीरीयल नं. वी-4085 जो श्रीमान् डी. ओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी अलवर द्वारा हस्ताक्षरित मेरे पास उपलब्ध थी, को चारों शीशियों पर नींचे से उपर तक पूरे राउण्ड पर गोंद से चिपकाकर मोटे मजवूत धागे से वांधकर नियमानुसार 4-4 जगह उपर नीचे एवं दोनों साइडों पर सील चपडी कर प्रत्येक सील्ड नमूने पर विक्रेता के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व आधे खाकी कागज पर आ गये एवं गवाहन व स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील्ड नमूना भागो को अपने जाप्तें में लिया।

5. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियों एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझांकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता एवं गवाहन ने भी पढ़कर, सुनकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5ए की एक प्रति विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5ए एवं फर्द रिपोर्ट न्यायनिर्णायन आवेदन के साथ संलग्न है।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

6. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलवन्द कर सील मोहर कर खाद्य विशलेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, अलवर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विशलेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, अलवर को जमा कराकर फार्म नं. 6 को पुश्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील वन्द नमूना भाग (ii व iii भाग) मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म सं. 6 की एक प्रति के डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर को जमा कराकर रसीदें प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
7. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को श्रीमान् डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर के पत्रांक 351 दिनांक 31.12.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विशलेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, अलवर से प्राप्त जांच रिर्पोट के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जाँच क्रय किया गया मिश्रित दूध Substandard Food (अवमानक खाद्य पदार्थ) होना पाया गया। उक्त पत्रांक एवं जाँच रिर्पोट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
8. यह है कि उक्त प्रकरण में कार्यालय पत्रांक 137 दिनांक 23.06.2020 द्वारा श्रीमान आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं निदेशक (जन स्वा०), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर को समयावधि वढ़ाने वावत् लिखा गया था जिसपर उनके प्रतिउत्तर पत्रांक 581 दिनांक 27.07.2020 द्वारा उक्त प्रकरण में समयावधि वढाई गयी। जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
9. श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर द्वारा समस्त पत्रावली का अवलोकन करने विचार एवं मनन करने के बाद अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुये पत्र 143 दिनांक 11.08.2020 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण मे न्यायनिर्णयन आवेदन श्रीमान न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु प्राधिकृत किया है।
10. यह कि उक्त प्रकरण में Substandard Food (अवमानक खाद्य पदार्थ) मिश्रित दूध का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 मे निर्धारित है। अतः उपरोक्त आवेदन श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है।
11. प्रकरण इस न्यायालय कि क्षेत्राधिकार में होने के कारण पत्रावली अपर जिला मजिस्ट्रेट अलवर से स्थानान्तरण होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण की तल्वी हेतु नोटिस जारी किया गया बाद तामिल अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता कपिल शर्मा ने वकालतनामा पेश कर जबाव पेश किया। अप्रार्थीगण अधिवक्ता को सुना गया। अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि खाद्य

सुरक्षा अधिकारी द्वारा जिस स्थान से नमूना लिया गया है वह दूध चिलिंग स्टेशन है वहाँ पर दूध का ठण्डा कर आगे कम्पनी को भेजा जाता है। चिलिंग स्टेशन पर किसी प्रकार की दूध का बेचान नहीं किया जाता है। जॉच रिपोर्ट में दूध में फैट की मात्रा कम पाई गई है क्योंकि लिया गया नमूना ठण्डा दूध से लिया गया था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सही से सैम्पल नही लेने के कारण जॉच रिपोर्ट में फैट की मात्रा कम पाई गई है अतः अप्रार्थी के खिलाफ की कार्यवाही को खारीज फरमानें की कृपा करें।

12. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों रिकॉर्ड का अवलोकन किया । प्रश्नगत प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मिश्रित दूध में मिलावट का शक होने पर 2 लीटर दूध वास्ते जाँच नमुना लिया जाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अलवर राजस्थान को भिजवाने पर उनके द्वारा अपनी जाँच रिपार्ट से उक्त खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध अवमानक खाद्य पदार्थ पाया गया। वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब में वर्णित किया है कि खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध में किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई है, दूध में फैट की मात्रा कम आने का कारण खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना सही से नही लिया जाना बताया है परन्तु अपने कथनों के समर्थन में कोई दस्तावेजात् रिकॉर्ड शाहदत प्रस्तुत नहीं की है केवल जुबानी कथनों के आधार पर पर्याप्त वजह दस्तावेजी रिकॉर्ड शाहदत के अभाव में प्रयोगशाला से प्राप्त जाँच रिपोर्ट को गलत नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार अभियुक्त द्वारा बेचा गया खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध की गुणवत्ता सही नहीं होने पर प्रयोगशाला की जाँच रिपोर्ट अनुसार अवमानक खाद्य पदार्थ होना पाया गया है जिसकी अप्रार्थी द्वारा बिक्री कर एफएसएस 2006 की धारा 26 (2)(ii) नियम व विनियम 2011 का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अनुसरण में दण्डित किया जाना उचित एवं न्याय संगत है। अतः अभियक्त श्री श्री श्याम सिंह पुत्र श्री जसपाल सिंह, उम्र 50 वर्ष (विक्रेता, इन्चार्ज एवं नोमनी) मैसर्स हैरिटेज फूडस लि०. C/O अशोको आईस फैक्ट्री, ग्राम जैतपुरा, वार्ड नं0 2. बहरोड, जिला अलवर निवासी– ग्राम सलेमगढ़, पो० मंगलोर, जिला बुलन्दशहर (उत्तर प्रदेश) एवं फर्म मैसर्स हैरिटेज फूडस लि०. C/O अशोका आईस फैक्ट्री, ग्राम जैतपुरा, वार्ड नं० 2. बहरोड, जिला अलुवर पर 25001/- ([illegible]) ... शास्ति आरोपित की जाती है। उक्त शास्ति राशि जरिये चालान एक माह में जमा कराकर रसीद चालान पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 17.12.25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

न्यायनिर्णायक अधिकारी
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली